

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.4(02)ज.सं./2020 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक : 22 OCT 2021

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.09.2021 के क्र.सं. 10 पर अंकित श्री नानूराम रोत, अधीक्षण अभियंता का जल संसाधन वृत्त, बांसवाड़ा से जल संसाधन वृत्त, छत्तरगढ़ में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

(कैलाश बैरवा)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द मीणा)

सहायक शासन सचिव

AB
R.
27/10/21

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ(1)स्थाना/अनिस/अअप्रास/मुअजसं/2021/87 दिनांक 22/10/2021

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(02)ज0सं0/2020 पार्ट-2 दिनांक 22.10.2021 की प्रति निम्नलिखित को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित कार्यालयों/अधिकारियों को अपने स्तर पर उपलब्ध कराते हुये पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें:-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
4. उप निदेशक, (एम आई एस) एस. पी. एम. यू. एन एच पी, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. श्री नानूराम रोट, अधीक्षण अभियन्ता।
6. अधिशाषी अभियन्ता (प्रथम), कार्यालय हाजा।
7. संस्थापन अधिकारी, स्थापन अनुभाग-प्रथम/गोपनीय अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

(जितेन्द्र दीक्षित)

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा0 सहा0
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर।